न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 01/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/01

वादी	बनाम	प्रतिवादी
नरेन्द्र कुमार पुत्र मिश्रीमल जाति मेगवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.मोहनलाल पुत्र मिश्रीमल 2.रणछोड़ पुत्र मिश्रीमल 3.राजोदेवी पत्नि मिश्रीमल 4.राणीदेवी पुत्री मिश्रीमल जाति मेगवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता वादी
2. श्री संजय नाहर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4
3. प्रतिवादी संख्या 05 अनुपस्थित।

:–निर्णय:–

दिनांक 18/8/202

1.संक्षिप्त मे वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम खेड़ तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 463 क्षेत्रफल 5.0909 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 4 की सह–खातेदारी में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि में वादी का पुश्तैनी हिस्सा 1/15 व खरीदशुदा हिस्सा 1/3 है और उक्त हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी को घरेलू बोलचाल भाषा में नारायण नाम से पुकारने के कारण वक्त खरीद भूमि में वादी का अशुद्व नाम नारायण अंकन किया गया। जबकि वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक नाम नरेन्द्र कुमार दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि मे अशुद्व प्रविष्टि के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि नारायण पुत्र मिश्रीमल के स्थान पर सही नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र मिश्रीमल इन्द्राज करवानें हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

2.वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। प्रतिवादी के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय नाहर द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्ध नाम नारायण के स्थान पर नरेन्द्र कुमार दुरूस्त किए जाने पर सहमति दी गई।

3.प्रतिवादी की ओर से सहमति दिए जाने के कारण विवाद के बिन्दु निहित नहीं होने के कारण वादी के वाद–पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात मानी गई। वादी साक्ष्य में स्वंय वादी नरेन्द्रकुमार द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 07 प्रदर्शित करवाए गए।

4.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 463 क्षेत्रफल 5.0909 हैक्टयर अवस्थित है। वादी के पिता मिश्रीमल द्वारा वादग्रस्त भूमि स्वंय व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 के नाम खरीद की गई थी। वादी का घरेलू बोलचाल भाषा में नारायण नाम से पुकारे थे,वक्त खरीद रजिस्ट्री में नरेन्द्रकुमार के स्थान पर नारायण नाम अंकन कर दिया गया। वादी के पिता मिश्रीमल के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण मे वादी का सही नाम नरेन्द्र कुमार दर्ज किया गया,लेकिन खरीदशुदा भूमि मे वादी का अशुद्व नाम नारायण अंकन किया,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक नरेन्द्रकुमार दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम नरेन्द्रकुमार के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम नारायण के स्थान पर नरेन्द्रकुमार इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

5.प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। वादी व प्रतिवादी का अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम नरेन्द्रकुमार के स्थान पर नारायण गलत इन्द्राज हो रखा है,जो दुरूस्ती किया जाता है,तो प्रतिवादी को आपति नहीं है।

6.**हमनें** उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 463 क्षेत्रफल 5.0909 हैक्टयर अवस्थित है। जिसमें वादी का अशुद्व नाम इन्द्राज होना बताया है। जबकि सरकारी दस्तावेज प्रदर्श 3–आधार कार्ड,प्रदर्श 4–आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड,प्रदर्श 5–वोटर कार्ड प्रदर्श–6 डाईविग लाईसेन्स व प्रदर्श 7–जन आघार कार्ड में वादी का नाम नरेन्द्रकुमार अंकन है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए वादी का वादग्रस्त भूमि मे अशुद्व नाम प्रविष्टि नारायण के स्थान पर नरेन्द्रकुमार किए जाने की सहमति प्रदान की गई है। इससे प्रमाणित होता है कि वादी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

का वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादी दुरूस्ती करवाने का हकदार है। इसके साथ प्रतिवादी संख्या 05 तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपने जवाब मे स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्ध नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,नारायण एवं नरेन्द्रकुमार एक ही व्यक्ति है। वादी के नाम शुद्धि किए जाने की अनुशंष की गई है। वादी अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपना अशुद्ध नाम नारायण के स्थान पर नरेन्द्रकुमार दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णयः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–खेड़ तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 463 क्षेत्रफल 5.0909 हैक्टयर भूमि मे वादी के 1/3 हिस्सा में वादी का अशुद्ध नाम प्रविष्टि नारायण पुत्र मिश्रीमल के स्थान पर नारायण उर्फ नरेन्द्रकुमार पुत्र मिश्रीमल दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 18.8.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर 18/08/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा